

सेवा में,

श्रीमान् केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
सतर्कता अनुभाग

पावरग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
केन्द्रीय कार्यालय
गुडगाँव

विषय - R.T.I 2005 के अन्तर्गत आवेदन
मद्यशय,

(11-12)
CPID m tone
Received 8/5/19
के.ए.
8/5/19
→ Ms Ms. for mail.
M.K.W.

निवेदन है कि मैं केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली में पावरग्रिड
में व्याप्त भ्रष्टाचार की प्रिकायत की थी। जिसको केन्द्रीय सतर्कता आयोग
ने आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी को कार्यालय
शापन सं० 39546/2016 दिनांक 19-07-2016 के द्वारा भेजा गया था।
लेकिन ढाई साल होने के बाद भी कोई भी कार्रवाई होता दयातल पर
प्रतीत नहीं हो रहा है। और अब ऐसा लग रहा है कि इस मामले
में आवेदक को माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका
दाखिल करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में

निम्नलिखित सूचना उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

- (1) अरुण कुमार सिंह, अपरमहाप्रबंधक पावरग्रिड, पूरियाँ के सेवानिवृत्त होने पर उसकी सतर्कता अनुभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (V.C.C) निर्गत हो चुका है। दृष्टांत सूचना उपलब्ध कराएँ।
- (2) अग्र अरुण कुमार सिंह की सतर्कता अनुभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत हो चुका है। तब उसकी दायराप्रति उपलब्ध कराएँ।
- (3) अरुण कुमार सिंह को अर्जित अवकाश का तर्कीकरण भुगतान किया जा चुका है। दृष्टांत सूचना उपलब्ध कराएँ।
- (4) क्या अरुण कुमार सिंह को सेवा उपदान की राशि मिल चुकी है।
- (5) इस तरह के गंभीर वित्तीय अनियमितता में अरुण कुमार सिंह को सतर्कता अनुभाग से क्लीन चिट मिल चुकी है। दृष्टांत सूचना उपलब्ध कराएँ।

श्री. भास्कर का नगरिक है। तथा I.P.O

10 के मा सं. 11 न. 11 में भेजा है। जिसकी सं० - 414691805 है।

FROM,

KANCHAN KUMAR
AT- ASHOKNAGAR
PO- NAULAKHT
VIA- MURLIGANS
DIST- PURNERA
PIN- 852122
(GBIHAR)



TO,

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(SHADWINI)
PLOT No - 02
SECTOR - 29
GURGAON - 122001
(HARYANA)

